

100

गंगा नदी

गणप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 नवम्बर 1975

वन विभाग

गणप्रदेश, दिनांक 23 नवम्बर 1975

क. 5248-3273-ख(2)-75.—कार्डर तारण (प्रदेशन) क. 5248-3273-ख(2)-75 की धारा 10 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गणप्रदेश क्षेत्र की वन परिधि के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों को वन वही तथा वन के अन्तर्गत घोषित किया जाता है।

परिधि

जिला — पन्ना
सहरील — पन्ना
परिधि — अज्ञीत, पन्ना
प्रकार — वन वही

क्षेत्रफल का नाम — गण. वन वही
क्षेत्रफल — 258.429 वर्ग कि. मी.
क्षेत्रफल — 2.429 वर्ग कि. मी.
क्षेत्रफल — 258.429 वर्ग कि. मी.

संक्षेप

(1) लोक निर्माण विभाग द्वारा पन्ना की ग्राम क. 9 में 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 की उत्तरी सीमा प्रभावित की जायेगी।

(2) पान्ना की वही वन क्षेत्र वन वही वन वही की पश्चिमी सीमा रेखा अज्ञीत, पन्ना की वन वही की उत्तरी सीमा रेखा क. 42, 43 की उत्तरी सीमा परियोजना वन वही की सीमा।

(3) अज्ञीत वन क्षेत्र वन वही, प्रभावित क्षेत्र पान्ना की उत्तरी सीमा रेखा क. 42, 43 की उत्तरी सीमा परियोजना वन वही की उत्तरी सीमा।

(4) अज्ञीत वन क्षेत्र वन वही के पश्चिमी सीमा रेखा क. 42, 43 से लोक निर्माण विभाग द्वारा पन्ना की क. 9 की उत्तरी सीमा।

गणप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. शर्मा, उपनिर्देशक

गणप्रदेश, दिनांक 23 नवम्बर 1975

क. 5248-3273-ख(2)-75.—कार्डर तारण (प्रदेशन) क. 5248-3273-ख(2)-75 की धारा 10 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गणप्रदेश क्षेत्र की वन परिधि के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों को वन वही तथा वन के अन्तर्गत घोषित किया जाता है।

गणप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. शर्मा, उपनिर्देशक

Bhopal, the 13th November 1975.

No-5248-3273-X(2)-75.—In exercise of powers conferred by section 18 (1) of the wild life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972). The Madhya Pradesh Government hereby declare the land specified in Schedule below as Ganga Game Sanctuary for the birds and animals in said sanctuary.

Schedule

District Panna, Range-Bhoina, Madla. Sub-division—North Panna. Name of Sanctuary Area—Ganga Game Sanctuary. E. F. 279-691 Sq. K.M.P.F., 6.616 Sq. K.M. Total—286.337 Sq. K.M.

Boundaries

North—P.W.D. Road from Chhatarpur to Panna compartment No. 1 to 2, 3, 5, 6, 7 and 406 of Northern Boundary.

East—Common Boundary of Forest Block Pipertola, Bador and Rampura from Chhatarpur, Panna, P.W.D. Road, Compartment No. 406 to 7, 407, 8, 54, 55, 51, 56, of Eastern Boundary and Compartment No. 54, 56 of southern boundary (Boundary of Panna Range).

South—Common Boundary of Forest Block Rampura, Amanganj and Pipertola, Bador from Compartment No. 56 to 72 to Ken River and boundary of south Panna Division.

West—Common boundary of District Panna and Chhatarpur Ken River from Compartment No. 72 to P. W. D. Road up to Compartment No. 1 of Western Boundary.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. C. SAXENA, Dy. Secy

गणप्रदेश, दिनांक 23 नवम्बर 1975

क. 5248-3273-ख(2)-75.—कार्डर तारण (प्रदेशन) क. 5248-3273-ख(2)-75 की धारा 10 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गणप्रदेश क्षेत्र की वन परिधि के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों को वन वही तथा वन के अन्तर्गत घोषित किया जाता है।

(एक) समिति को बैठक एक माह में कम से कम एक बार होगी।

(दो) समिति के सचिव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों के परामर्श से बैठकें नियमित की जायेंगी और कार्य सूची की प्रतिफल रूप दिया जायेगा।

(तीन) समिति को समस्त सदस्य सामान्यतः स्वयंपूर्ण रूप में समिति की बैठक की तिथि से कम से कम दो सप्ताह पूर्व की जायेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य सदस्यों को वन वही प्रस्ताव, जिन पर समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है समिति के सचिव को भेजना चाहिये।

(चार) समिति के सचिव द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के परामर्श से प्रस्तावों का समुचित परीक्षण करने के पश्चात् उन मुद्दों को कार्य में शामिल करेंगे और बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन सदस्यों को वितरित करेंगे।

(पांच) समिति की बैठक में उन वन विषयों का विशेष रूप उल्लेख किया जाना चाहिये, जिन पर समिति के सदस्यों की आवश्यकता हो और उन्हें समिति के सदस्यों को भेजा जाना चाहिये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के परामर्श में उपलब्ध होंगे। इसके समिति के सदस्य चाहें तो मूल सदस्य देख सकते हैं।

(छ) ऐसे अनुमान जो मुख्य वन संरक्षण राष्ट्रीय मंत्रालय की समिति से अधिक हो और जिसके लिये समिति की आवश्यक हो, मुख्य वन संरक्षण (ग) द्वारा उपलब्ध विषय पर अनुसंधान में दो प्रतियों में भेजे जायेंगे। अनुमानों और के गोपनीयता को बजट व्यवस्था और तिथियों की उपलब्धता के लिये स्पष्ट करना चाहिये।